न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 1195/आ0 नि0 का0 दिनांक-04 सितम्बर'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़, पटना।

(2) सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी,
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना।

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य आयुक्त नि:शक्तता दवारा स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण करने के संबंध में।**

प्रसंग :- **इस कार्यालय पत्र सं0-581/आ0नि0को0 दि0-28.02.2020, पत्र सं0-744/आ0नि0को0 दि0-24.03.2020 एवं पत्र सं0-1161/आ0नि0को0 दि0-28.08.2020**

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय में राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से बाढ़ अनुमण्डल के प्रखण्डों का दिनांक-07.09.2020 से 10.09.2020 तक कार्यान्वयन का क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण किया जाना है, जिससे सम्बन्धित कार्यक्रम विवरणी निम्नवत है :-

राज्य आयुक्त नि:शक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	आगमन/प्रस्थान/ समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम
1.		10:00 AM से 12:00 PM बजे तक	बख्तियारपुर प्रखण्ड	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम
2.		12:00 PM से 02:00 PM बजे तक	अथमलगोला प्रखण्ड	
3.	07/09/2020 (सोमवार)	02:00 PM से 03:00 PM बजे तक	भोजनावकाश	
4.		03:00 PM से 04:00 PM बजे तक	बेलछी प्रखण्ड	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम
5.		04:00 PM से 05:00 PM बजे तक	बाढ़ प्रखण्ड	

कृ0पृ0उ0..............

6.	07/09/2020 (सोमवार)	बाढ़ प्रखण्ड से पटना के लिए वापसी।		
7.	08/09/2020 (मंगलवार)	सी0आर0सी0, पटना में आयोजित दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम में आमंत्रण।		
8.	09/09/2020 (बुधवार)	10:30 AM से 12:30 PM बजे तक	पंडारक प्रखण्ड	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम
9.		12:30 PM से 2:00 PM बजे तक	मोकामा प्रखण्ड	
10.		2:00 PM से 3:00 PM बजे तक	भोजनावकाश	
11.		3:00 PM से 4:00 PM बजे तक	घोसवरी प्रखण्ड	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम
12.	09/09/2020 (बुधवार)	बाढ़ अनुमण्डल परिसदन में रात्रि विश्राम।		
13.	10/09/2020 (गुरूवार)	10:30 AM से 12:30 PM बजे तक	बाढ़ अनुमण्डल	कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम
14.	10/09/2020 (गुरूवार)	बाढ़ अनुमण्डल से पटना के लिए वापसी।		

अनुमण्डल स्तर की समीक्षा बैठक में अनमुण्डलाधिकारी, अपर अनुमण्डलाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे।

प्रखण्ड स्तर की समीक्षा बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि भाग लेंगे।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

कृ०पृ०उ०...........

अतः सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। कोविड19 (**COVID-19**) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन
03.09.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 1195/आ.नि.श. दिनांक-04 सितम्बर'20

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्यक्रम में सहयोग हेतु सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

03.09.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 1195/आ.नि.श. दिनांक-04 सितम्बर'20

प्रतिलिपिः-बाढ़ अनुमण्डल अन्तर्गत शामिल विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.09.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 1195/आ.नि.श. दिनांक-04 सितम्बर'20

प्रतिलिपिः-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अथमलगोला, मोकामा, बेलछी, घोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर एवं बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.09.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019 1195/आ.नि.श. दिनांक-04 सितम्बर'20

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।